



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021 (फाल्गुन 7, शक संवत् 1942)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. शौर्य दिवस का उल्लेख

श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में उल्लेख किया कि आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री वीर सावरकर की पुण्य तिथि एवं सेनिकों के शौर्य का दिवस भी है। इस दिन पाकिस्तान में घुसकर हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हम उनको नमन करते हैं।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 एवं 9) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 99 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 107 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

- अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -
- (1) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में बैकलॉग के पदों को अनदेखा कर सामान्य वर्ग को नियुक्ति दी जाने,
 - (2) डॉ. सतीश सिंह सिकरवार, सदस्य की ग्वालियर में मुरार थाना क्षेत्रान्तर्गत डबका गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मृत मजदूर को आर्थिक सहायता न मिलने,
 - (3) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य की छतरपुर शहर में पूर्व से निर्मित तालाबों का संरक्षण सौन्दर्यकरण एवं अन्य आवश्यक कार्य कराये जाने,
 - (4) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य की जबेरा क्षेत्र में स्वीकृत स्टाप डेम का निर्माण न किये जाने,
 - (5) कुंवर विक्रम सिंह, नातीराजा, सदस्य की जिला छतरपुर तह. राजगढ़ में बरियारपुर डैम का पानी किसानों को सिंचाई हेतु न मिलने,
 - (6) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य की केन्ट वि.स. अंतर्गत गरीब वर्ग के हितग्राहियों को राशन की दुकानों पर मिलने वाला राशन पात्रता पर्ची के आभाव में नहीं मिलने,
 - (7) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा, सदस्य की मुरैना जिले के मूल निवासी पूर्व सैनिक का मुरैना कलेक्ट्रेट कार्यालय में शस्त्र लायसेंस का इंद्राज न किये जाने,
 - (8) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से स्कूली छात्र-छात्राओं हेतु प्रदेश के साथ रतलाम में बनाये गये शौचालय व सुविधा घर घटिया स्तर के होने,
 - (9) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में लभगभ 24 वर्षों से एक ही विकासखण्ड में पदस्थ उपयंत्री द्वारा निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किये जाने तथा
 - (10) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की भोपाल में संत हिरदाराम नगर की गायत्री कॉलोनी में स्थापित गैर शासकीय चिकित्सालयों में आने वाले वाहनों से आवागमन अनियंत्रित होने, संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री ने
(क) मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड का 57 वां एवं 58 वां वार्षिक विवरण क्रमशः वर्ष 2018-19 एवं 2019-20, तथा
(ख) (i) पन्ना का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,
 (ii) नरसिंहपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,
 (iii) दमोह का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,
 (iv) सागर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19, तथा
 (v) बैतूल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19

पटल पर रखे.

(2) श्री प्रेमसिंह पटेल, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री ने आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 पटल पर रखा.

(3) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 पटल पर रखे.

(4) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री की अनुपस्थिति में श्री अरविंद सिंह भद्रारिया, सहकारिता मंत्री ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 3 नवम्बर, 2020 पटल पर रखी।

(5) श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री पिछळा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 पटल पर रखा।

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण) (क्रमशः)

दिनांक 24 एवं 25 फरवरी, 2021 को राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.
कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(अपराह्न 1.50 बजे से 4.00 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए।

6. अध्यक्षीय घोषणा

**कार्यसूची में उल्लेखित ध्यानाकर्षण अन्य औपचारिक कार्य पूर्ण होने के उपरांत अशासकीय कार्य लिया जाना
एवं शासकीय विधि विषयक कार्य आगामी दिवस में संपादित किया जाना**

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि “विधान सभा प्रक्रिया के कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घण्टे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य संपादन के लिये नियत हैं परन्तु आज की कार्यसूची में उल्लेखित ध्यानाकर्षण अन्य औपचारिक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अशासकीय कार्य भी आ जाएगा तथा विधि विषयक कार्य आगामी दिवस में संपादित किया जाएगा।”

7. ध्यानाकर्षण

(1) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने महिदपुर रोड स्थित दिशा शक्कर सहकारी कारखाने की भूमि का हस्तांतरण न किये जाने की ओर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा, सदस्य ने मुरैना जिले के ए.बी.सी. केनाल एवं ए.बी. रोड के नहर साईड रेलिंग का निर्माण न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई :-

- (1) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
- (2) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
- (3) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
- (4) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
- (5) श्री सुनील उर्के (जिला-छिन्दवाड़ा)
- (6) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
- (7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
- (8) श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
- (9) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
- (10) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
- (11) श्री प्रियव्रत सिंह (जिला-राजगढ़)
- (12) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी (जिला-दमोह)
- (13) श्री र्यारसीलाल रावत (जिला-बड़वानी)
- (14) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
- (15) श्री जजपाल सिंह 'जजी' (जिला-अशोक नगर)
- (16) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
- (17) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (18) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
- (19) श्री अनिरुद्ध (माथव) मारू (जिला-नीमच)
- (20) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (जिला-रायसेन)
- (21) श्रीदेवीलाल धाकड़ (जिला-मंदसौर)
- (22) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी शहर)
- (23) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा (जिला-मुरैना)
- (24) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
- (25) श्री तरबर सिंह (जिला-सागर)
- (26) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
- (27) श्री प्रह्लाद लोधी (जिला-पन्ना)
- (28) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
- (29) श्रीशैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
- (30) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
- (31) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
- (32) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
- (33) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
- (34) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
- (35) श्री रामचन्द्र दांगी (जिला-राजगढ़)
- (36) श्री राजेश कुमार प्रजापति (जिला-छतरपुर)
- (37) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
- (38) श्री राकेश मावर्डी (जिला-मुरैना)
- (39) श्री राहुल सिंह लोधी (जिला-टीकमगढ़)
- (40) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
- (41) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
- (42) श्री मुकेश रावत (जिला-अलीराजपुर)
- (43) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
- (44) श्री कुणाल चौधरी (जिला-शाजापुर)
- (45) श्री सुनील सराफ (जिला-अनूपपुर)

9. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए 11-11 सदस्यों का निर्वाचन

श्री जगदीश देवडा, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - “सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ङ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए क्रमशः : लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.”.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन

सुश्री मीना सिंह मांडवे, जनजातीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2021-2022 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.”.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

11. विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए 8-8 विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

"यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड, विश्वविद्यालय, छतरपुर तथा छिन्दवाडा विश्वविद्यालय, छिन्दवाडा की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों में से आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु दो सदस्यों का निर्वाचन

श्री कमल पटेल, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि :-

“यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.”.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करने की घोषणा की गई -

- (1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 2 मार्च, 2021 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.
- (2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच बुधवार, दिनांक 3 मार्च, 2021 को अपराह्न 1.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-6 में होगी.
- (3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 3 मार्च, 2021 को अपराह्न 4.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.
- (4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.
- (5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

13. अशासकीय संकल्प

(1) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - “यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि पश्चिम मध्य रेल्वे के कटनी जंकशन स्टेशन में डी.आर.एम. का पद सृजित कर डी.आर.एम. कार्यालय स्थापित किया जाए .”. तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने वक्तव्य दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ.
संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(2) सर्वश्री रामलल्लू वैश्य, बापू सिंह तंवर, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - “यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश राज्य में पिछड़े वर्ग की सूची के क्रमांक 88 में शामिल वैसवार जाति एवं राज्य में पिछड़े वर्ग की सूची के क्रमांक 59 में शामिल लोड़ा (तंवर) जाति को केन्द्र शासन के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में भी शामिल किया जाए.”. तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण ने वक्तव्य दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ.
संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(3) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - “यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि बिना सेंसर बोर्ड या अन्य बोर्ड से पास वेबसीरिज के प्रसारण पर रोक लगाने एवं बिना सेंसर बोर्ड के पास किये, प्रदर्शित की जा रही वेबसीरिजों के निर्माता एवं निर्देशकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने का अधिकार प्रदेश सरकार को दिया जाए ”. तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ.
संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 5.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 1 मार्च, 2021 (10 फाल्गुन, शक सम्वत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

भोपाल:

दिनांक: 26 फरवरी, 2021.

**ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.**